

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल- 462004

भोपाल, दिनांक 8/9/2021

क्रमांक/ 1205/198/आउशि/ब.अनु./21
प्रति,

प्राचार्य/शिक्षाधिकारी,
समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को स्वीकृत अनुदान एवं स्थापना संबंधी कार्यों के संपादन हेतु अग्रणी महाविद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी बावत (त्रुटिसुधार)।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/1108-09/198/आउशि/ब.अनु./21 दिनांक 25.8.2021 ।
---0---

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के संलग्न जारी किये दिशा-निर्देशों में निम्नानुसार त्रुटिसुधार एवं परिवर्धन किया जाता है:-

(1) निर्देश के स.क-2 में हिन्दी फॉन्ट में अंकित 'अमदकमत चलउमदज' के स्थान पर 'vender payment' पढ़ा जावे ।

(2) निर्देश के स.क.-16 में "शैक्षणिक/शैक्षणिक" के स्थान पर "शैक्षणिक/अशैक्षणिक" पढ़ा जावे ।

(3) निर्देश के स.क.-11 में निम्नानुसार शामिल किया जाता है:-

“ अध्यक्ष,शासी निकाय एवं शिक्षाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा प्रभारी प्राचार्य पद के प्रभार के लिये संबंधित अधिकारी की वरिष्ठता के साथ-साथ संबंधित अधिकारी के गुण-दोष (यथा-कोई अपराधिक प्रकरण, न्यायालयीन प्रकरण, निलंबन का प्रस्ताव, ई.ओ.डब्ल्यू एवं लोकार्युक्त तथा कोई गंभीर शिकायत विचाराधीन न हो) एवं कार्य प्रणाली का परीक्षण एवं विचारोपरांत आदेश जारी किये जावे।”

(चन्द्र शेखर वालिम्बे)
आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 8/9/2021

क्रमांक/ 1206/198/आउशि/ब.अनु./21
प्रतिलिपि:-

1. उपसचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. आई.टी. सेल प्रभारी, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु ।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
4. प्राचार्य, समस्त अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

Am
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश